

घाता 111, 128 R/A

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 97/2018

दिनांक:- 11/05/2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री जीवतराम स्य इक्ली

जति मीणा, उम्र 55, नि० राशेला, तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत राशेला दिनांक 11/05/2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घाता 111, 128 ले०रे०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा राशेला पंचायत समिति टावडा में स्थित खाता संख्या 71 पर आराजी नं० 564 कुल 0 बीघा 12 बिस्वा किता 1 योग रकबा 12 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी जयराज वर्मा नि० राशेला ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम राशेला की जनाबंदी सम्वत् 2073-76 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है। रपसरा नं० 564/1 रकबा 12 बिस्वा

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जनाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा राशेला में स्थित खाता संख्या 71 पर आराजी नं० 564 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 12 बिस्वा की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा राशेला में स्थित खाता संख्या 71 पर आराजी नं० 564 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 12 बिस्वा की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रू० 450/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फैंसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर